

100. जिला न्यायाधीश किसी उम्मीदवार को किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में दोषी भ्रष्टाचार अथवा पाए तो ग्राम साधारण निकाय की सदस्यता अथवा इस विनियम के तहत चुनाव गैर-कानूनी लड़ने अथवा किसी कार्यालय या सरकारी स्थान अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी में गतिविधियों के नियुक्ति या बने रहने अथवा किसी ग्राम साधारण निकाय के सदस्य के रूप में कारण अयोग्य। पंजीकृत होने पर अयोग्य घोषित कर सकता है जिसकी अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी जैसा भी हो जिला न्यायाधीश निर्धारित कर सकता है।

101. (1) इस विनियम में शामिल किसी प्रावधान के होते हुए भी चुनाव क्षेत्र के निर्वाचन संबंधी परिसीमन से संबंधित किसी विधि की वैधता अथवा उस चुनाव क्षेत्र के सीट आबंटन मामलों में अथवा इस विनियम के अधीन का होना तात्पर्यित को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कहा जाएगा। न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

(2) धारा 96, 97, 98, 99 और 100 में उपलब्ध अन्यथा उपबंधित के सिवाय सिविल न्यायालय को इस विनियम के तहत निर्वाचन के आयोजन के संबंध में चुनाव आयुक्त या सचिव, जनजातीय कल्याण या उपायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई अथवा दिए गए निर्णय की वैधता को प्रश्नगत करने का अधिकार नहीं होगा।

102. उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद के मामले में प्रवेश करने का किसी ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद द्वारा किसी दखल अचल सम्पत्ति की निरीक्षण अधिकार करने तथा ऐसे ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद जिनके निर्देशन में कार्य प्रगति पर है, जैसा भी मामला हो, वहाँ जा कर जाँच करने के लिए अपने किसी अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है।

103. (1) इस विनियम या उसके अंतर्गत निर्मित नियम या उप-नियम के तहत परिषद आदि के सदभावनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य के संबंध में ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के अधीन कार्य कर रहे किसी भी सदस्य, अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब तक कि ऐसे ग्राम परिषद या द्वीप परिषद तथा उनके उन सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंटों जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, के घरों में लिखित नोटिस देने अथवा सुपुर्द करने के दो माह की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, और उस नोटिस में कार्रवाई का कारण, मांगी गई राहत की प्रकृति, दवा की क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई हो, तथा उस व्यक्ति का नाम तथा निवास स्थान जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, भी बतानी होगी। खिलाफ कार्रवाई का वर्जन तथा संरिथत करने से पूर्व नोटिस देना।

(2) इस विनियम तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम तथा उप-नियम के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा किया गया कार्य तात्पर्यिक है, किसी भी ग्राम परिषद या द्वीप परिषद या फस्ट कैटेन या सेकेन्ड कैटेन या चीफ कैटेन या वाइस चीफ कैटेन या उनके कोई सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कि ऐसे ग्राम परिषद या द्वीप परिषद तथा उनके उन सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंटों जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, के घरों में लिखित नोटिस देने अथवा सुपुर्द करने के दो माह की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, और उस नोटिस में कार्रवाई का कारण, मांगी गई राहत की प्रकृति, दवा की क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई हो, तथा उस व्यक्ति का नाम तथा निवास स्थान जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, भी बतानी होगी।

(3) प्रत्येक ऐसे कार्रवाई को वाद हेतुक की प्रोद्भवन के पश्चात छह माह के भीतर आरंभ करनी होगी और उसके पश्चात नहीं।

104. ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के प्रत्येक सदस्य तथा ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के अधीन कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को भारतीय दंड सदस्य आदि जन संहिता की धारा 21 के तहत जन सेवक समझा जाएगा। सेवक होंगे।

105. इस विनियम के तहत किसी ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के सदस्य या बिक्री में भाग किसी बिक्री के संबंध में ड्यूटी कर रहे उनके कोई अधिकारी ऐसे बिक्री में बिक रहे बिक्री में भाग किसी सपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बोली नहीं लगा लेने से विरत रहना होगा।

106. प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस विनियम अथवा के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल इसकी सूचना ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद में पुलिस के कर्त्तव्य तथा अधिकार और परिषद की सहायता की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेंगे।